न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 125/2020

1. रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. हरिसिंह पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. ईश्वर पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
3. जयवीर पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री हरिसिंह पत्नी राजवीरसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा हाल जगान त0 व जिला हिसार (हरियाणा)।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र पचार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 537/515 के खसरा सं0 341 की 6.4620है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 431 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रमेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह, प्रतिवादी सं0 2 ईश्वर व प्रतिवादी सं0 3 जयवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 125/2020

1. रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. हरिसिंह पुत्र माडूराम जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. ईश्वर पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
3. जयवीर पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री हरिसिंह पत्नी राजवीरसिंह जाति खाती निवासी शेरडा त0 भादरा हाल जगान त0 व जिला हिसार (हरियाणा)।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र पचार : वादी

वकील श्री सतवीर पुनियां : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 21-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 537/515 के खसरा सं0 341 की 6.4620है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 431 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता माडूराम की खातेदारी हुआ करती थी। माडूराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा [illegible] सं 5 स्टेट को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण [illegible] जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया [illegible]।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी शेरडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम शेरडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...मदी 2071–74 खाता सं0 537/515 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा शेरडा प्रदर्श 2, ...ारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को ...हराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें ...ादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड ...ें दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में हरिसिंह के तीन पुत्र रमेश कुमार, ईश्वर व जयवीर व एक पुत्री सुमित्रा के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 537/515 के खसरा सं0 341 की 6.4620हे0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 431 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 537/515 के खसरा सं0 341 की 6.4620हे0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 431 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रमेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह, प्रतिवादी सं0 2 ईश्वर व प्रतिवादी सं0 3 जयवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:12 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner